

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 533 F.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई के बारे में
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

21/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती श्रीमती पद्म पिता/पति श्रीमती पद्म
मौजा जार्गा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या-
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 18 / 02-03 के आधार पर दर्ज है।
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुव्यवसायि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>जार्गा</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>150</u>	<u>0.05 एकर</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 31/08/2020 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
अड़की।

31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....
..... पिता/पति राम चैतन फडा मौजा- जारागा थाना-अड़की,
जिला-खूँटी के नाम से मौजा- जारागा थाना नं० 262 खाता सं० 142
प्लॉट सं० 150 रकबा- 0.05 एकड़ लगान 0.18 रुपये अलावे
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा- जारागा
..... थाना नं० 262 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।